न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 07/2017
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00566

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगणः—

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर।

1. श्यामा कुमारी पत्नी हरीसिंह
2. जयेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह
कौम राजपूत ग्राम गलथनी तहसील सुमेरपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :— सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

—:: आदेश ::—

दिनांकः— 28/7/21

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम गलथनी पटवार मण्डल बलवाना तहसील सुमेरपुर जिला पाली के जमबांदी संवत 2022 से 2025 के अनुसार खसरा नम्बर 15 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै.मु. नाडी जिसका आवंटन/नियमन उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक/ राजस्व/ अभियान/54 दिनांक 07.01.1983 को हरीसिंह पुत्र समरथसिंह राजपूत को किया गया व उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 07.01.1983 हरीसिंह पुत्र समरथसिंह के हक में भरकर गैर खातेदार दर्ज किया गया। जिसमें भूमी की किस्म परिवर्तन कर गै.मु. नाडी से चाही दोयम की गई। जो पत्रावली संलग्न नामान्तरकरण की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। उसके पश्चात जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 में उक्त भूमी के क्षेत्रफल मिलान के पश्चात नवीन खसरा नंबर 86 पड़े व रकबा 0.27 हैक्टेयर दर्ज हुआ। उसके पश्चात गैर खातेदार हरीसिंह के फौत होने पर फौतदगी नामान्तरकरण 221 दिनांक 20.12.2003 हरीसिंह की पत्नी श्यामाकुमारी व पुत्र जयेन्द्रसिंह के पक्ष में भरा गया। जिसमें पुनः भूमी की किस्म गैर मुमकिन नाडी दर्ज की गई व तहसीलदार सुमेरपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/10/261 दिनांक 13.4.2010 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 07.05.2011 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में भरा गया। जिसमें भूमी की किस्म पुनः गैर मुमकिन नाडी से चाही दोयम दर्ज की गई। अतः स्पष्ट है कि वक्त आवंटन उक्त भूमी की किस्म गै.मु. नाडी थी जिसकी किस्म परिवर्तन कर आवंटन/नियमन किया गया। उक्त कृषि भूमी की किस्म बन्दोबस्त के पश्चात राजस्व रेकर्ड में गै.मु. नाडी से अन्य किस्म चाही दोयम दर्ज हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आंवटित भूमी की किस्म गै.मु. नाडी होने से यह भूमी प्रतिबन्धित भूमी की श्रेणी में आती है व प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से उक्त भूमी का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त आवंटन/नियमन विधीविरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने तथा अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस सरकारी पैरोकार सुनी [illegible] एवं पत्रावली व उसके संलग्न राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible] राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गलथनी पटवार मण्डल बलवाना तहसील सुमेरपुर जिला पाली के पूर्व खसरा नम्बर 15 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नंबर 86 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर जिसकी किस्म गैर मुमकिन नाडी राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:20:28 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश 2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

रेकर्ड में दर्ज थी जो उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक/राजस्व/अभियान/54 दिनांक 07.01.1983 के द्वारा यह भुमि हरीसिंह पुत्र समरथसिंह राजपूत के हक में आवंटन/नियमन कि गई। तथा आवंटन/नियमन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 07.01.1983 हरीसिंह पुत्र समरथसिंह के हक में भरकर गैर खातेदार दर्ज किया गया। तथा भूमी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन नाडी से चाही दोयम दर्ज कर आवंटन/नियमन की गई। उसके पश्चात आवंटी हरीसिंह के फौत होने पर फौतदगी नामान्तरकरण 221 दिनांक 20.12.2003 हरीसिंह की पत्नी श्यामाकुमारी व पुत्र जयेन्द्रसिंह के पक्ष में भरा गया। जिसमें पुनः भूमी की किस्म गैर मुमकिन नाडी दर्ज की गई व तहसीलदार सुमेरपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/10/261 दिनांक 13.4.2010 की पालना में पुनः नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 07.05.2011 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में भरा गया। जिसमें भूमी की किस्म पुनः गैर मुमकिन नाडी से चाही दोयम दर्ज की गई। पत्रावली संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा आवंटी हरीसिंह पुत्र समरथसिंह के पक्ष में किया गया आवंटन/नियमन भूमी की किस्म गै.मु. नाडी से चाही दोयम परिवर्तन कर किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमि प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से उसका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः हरीसिंह पुत्र समरथसिंह के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक/राजस्व/अभियान/54 दिनांक 07.01.1983 की पालना में किया गया भूमि आवंटन/नियमन विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। तथा उसके पश्चातवृती अन्तरण भी निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को हरीसिंह पुत्र समरथसिंह के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा किया गया आवंटन/नियमन आदेश क्रमांक/राजस्व/अभियान/54 दिनांक 07.01.1983 व उसकी पालना में भरे गये ग्राम गलथनी पटवार मण्डल बलवाना तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 07.01.1983 व उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण 221 दिनांक 20.12.2003 व 318 दिनांक 07.05.2011 को निरस्त कराने व जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पूनः गैर मूमकिन नाडी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

जिलाधीश जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:20:28 IST
Reason: SelfAttested